अनुदान संख्या 19 – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 19–DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	26789,23,00		26789,25,00	23490,23,78	–3299,01,22
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3150,11,67
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	360,06,00		360,07,00	160,97,80	–199,09,20
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					187,00,97

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य, भंडारण और भांडागार" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंतत: इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2408" - "Food, Storage and Warehousing" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1487.00	1755.02	1616.86	–138.16
पु.	R.	268.02			
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	2673848.00	2360122.31	2345371.02	–14751.29
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–313726.69			
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	O.	3586.00	2000.00	2035.90	+35.90
पु.	R.	–1586.00			

(I) 15605.00 लाख रु. का प्रावधान (अगस्त, 2005 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 15600.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2408'' - "खाद्य - खाद्य सहायता - लेवी चीनी, चीनी के आयात आदि के कारण भारतीय खाद्य निगम और अन्यों को देय चीनी सहायता'' के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता में कमी कर दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.15605.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2005) remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.15600.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies - Sugar subsidy payable to FCI and others on account of levy sugar, import of Sugar etc." - due to reduction of subsidy by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "2408'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head "2408" - savings occurred under the following heads:-

(का) "खाद्य''-

(A) "Food"-

(क) "निदेशन और प्रशासन - वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय''- 122.38 लाख रु. की

(a) "Direction and Administration-Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats"-

बचत (267.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और प्रयोगशाला उपस्करों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शर्करा संस्थान'' - 314.01 लाख रु. की बचत (1097.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, स्टाफ की कमी की वजह से प्रशिक्षण शिविरों की कम संख्या होने, किसी विद्वान को नियुक्त न किए जाने, कोई विदेशी दौरे न किए जाने और कम निविदा का प्रकाशन होने के कारण हुई।

(ग) ''खाद्य सहायता''-

(i) ''खाद्यान्नों के लेन देनों और खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति पर भारतीय खाद्य निगम और अन्यों को देय आर्थिक सहायता''- 296000.00 लाख रु. की बचत (2283100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(ii) ''वर्ष 1974-75 के लिए लेवी चीनी का कारखाना मूल्य पुनर्निर्धारित किए जाने के कारण दावों के निपटान के लिए देय आर्थिक सहायता''- 660.86 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित चीनी मिलों द्वारा सुसंगत दावों को उनके समर्थित कागज-पत्रों और उपयुक्त उत्तरों सहित प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''अन्य व्यय''-

(i) ''चीनी के सुरक्षित भंडार के रख-रखाव के लिए आर्थिक सहायता''- 10106.35 लाख रु. की बचत (16000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से चीनी मिलों से दावों का निपटान न होने के कारण हुई।

(ii) ''चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान''- 235.39 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी कारखानों से कम/अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने और प्रशासनिक

saving of Rs.122.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.267.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of purchase of laboratory equipments.

(b) "Training - National Sugar Institute"- saving of Rs.314.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1097.00 lakhs) was due to non - filling up of vacant posts, less number of training camps owing to shortage of staff, non-engagement of any scholars, no foreign tour and less tender publication.

(c) "Food Subsidies"-

(i) "Subsidy payable to Food Corporation of India and others on Foodgrains transactions and decentralised procurement of foodgrains" - saving of Rs.296000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2283100.00 lakhs) was due to reduction of subsidy by the Ministry of Finance.

(ii) "Subsidies payable for settlement of claims on account of Re-fixation of Ex-factory Price Levy Sugar for 1974-75"- saving of Rs.660.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-furnishing of relevant claims with supporting papers and suitable replies by the concerned sugar mills.

(d) "Other Expenditure"-

(i) "Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar"- saving of Rs.10106.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16000.00 lakhs) was due to non-settlement of claims from Sugar Mills owing to administrative reasons.

(ii) "Grants-in-aid for Development of Sugar Industry"- saving of Rs.235.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to receipt of less/ incomplete proposals from sugar factories

औपचारिकताओं के पूरा होने में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) ''निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों का आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुमत दावों की अदायगी''- 5255.79 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों द्वारा कागजात/उत्तर प्रस्तुत न किए जाने और समुद्र भाड़ा, विपणन एवं लदाई-उतराई प्रभार संबंधी करार को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) ''भंडारण और भांडागार - प्रशिक्षण - अनाज बचाओ अभियान''- 200.39 लाख रु. की बचत (803.47 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनेतर व्यय पर अनिवार्य कटौती किए जाने, रिक्त पदों को भरे न जाने और अनाज बचाओ अभियान के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम'' के अंतर्गत 1549.08 लाख रु. की बचत (3525.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने और लागत घटक, सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली की कमी होने और उचित मूल्य के दुकानदारों की जागरूकता की वजह से केरल और अन्य राज्यों में स्मार्ट कार्ड स्कीम के उपयुक्त न पाए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 56.42 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (83.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''भंडारण और भांडागार- अन्य व्यय - राज्य सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण'' के अंतर्गत अगस्त, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग'' के अंतर्गत अधिक व्यय

and delay in completion of administrative formalities.

(iii) "Reimbursement of Internal Transport and freight charges to sugar factories on export shipments and payments of other permissible claims"- saving of Rs.5255.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to non-furnishing of papers/replies by the sugar mills and delay in finalisation of agreement on ocean freight, marketing and handling charges.

(B) "Storage and Warehousing - Training - Save Grain Campaign" - saving of Rs.200.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.803.47 lakhs) was due to mandatory cut on non-plan expenditure, non-filling of vacant posts and closure of some SGC field offices.

(III) Under Major Head "3456" - "Other Expenditure-Scheme relating to strengthening Public Distribution System"- saving of Rs.1549.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3525.00 lakhs) was due to late approval of revised Village Grain Bank Scheme and Smart Card Scheme not found feasible in Kerala and other States owing to cost factor, lack of electricity in remote and hilly areas and awareness of Fair Price Shop dealers.

(IV) Under one head saving of Rs.56.42 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.83.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining the token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in August, 2005 under Major Head "2408" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in North Eastern Region by State Government."

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Food and Public Distribution" - excess of

द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 138.76 लाख रु. का अधिक व्यय (1465.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति पर बकाया राशि की अदायगी किए जाने और लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बड़े प्रचार अभियान के कारण हुआ।

Rs.138.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1465.50 lakhs) was due to payment of arrears to the officers and staff on their promotions and large publicity campaign for targeted Public Distribution System.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4408" खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	4907.00	3642.03	3644.19	+2.16
पु.	R.	–1264.97			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	939.00	..	..	..
पु.	R.	–939.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	30160.00	13664.00	12453.61	–1210.39
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–16497.00			

(I) 939.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"- "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों

(I) Provision of Rs.939.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"- "Other Expenditure- Provision for Projects/Schemes for North Eastern States including Sikkim"- due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on

का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4408'' - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम'' के अंतर्गत 1620.00 लाख रु. की बचत (4808.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंप्यूटर हार्डवेयर के मूल्यों में गिरावट आने और कंप्यूटरीकरण किए जाने वाले स्थानों की संख्या में कमी आने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and other undertakings - Food Corporation of India" - saving of Rs.1620.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4808.00 lakhs) was due to fall in prices of computer hardware and reduction in number of locations to be computerised.

(III) मुख्य शीर्ष '6860'' - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "चीनी मिलों की पुन: स्थापना/का आधुनिकीकरण''- 6303.76 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें''- 878.88 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "खोई आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी कारखाने''- 3728.20 लाख रु. की बचत (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 10001.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल अथवा इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने''- 6776.55 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम/अधूरे आवेदन प्राप्त होने, करार का निष्पादन न होने और बैंक गारंटियां/प्रतिभूतियां समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हुईं।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4408'' - "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रा में खाद्य भंडारण और गोदामों का निर्माण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 390.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) Under Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills"- saving of Rs.6303.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs);

(B) "Sugar Mills for Cane Development"- saving of Rs.878.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs);

(C) "Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project"- saving of Rs.3728.20 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.10001.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2006); and

(D) "Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol"- saving of Rs.6776.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less/incomplete applications, non-execution of agreement and non-submission of bank guarantees/securities in time

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head"4408"- "Storage and Warehousing - Other Expenditure- Construction of food storage and godowns in North Eastern Region by FCI"- excess of Rs.390.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.